बुलडोज़र न्याय

चर्चा में क्यों

हाल ही में [भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India- SC)]() **ने "बुलडोज़र न्याय "** की प्रथा की आलोचना की तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना **विधि के शासन** का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदु:

- "बुलडोज़र न्याय" से तात्पर्य आपराधिक गतिविधियों या दंगों में संलिप्तता के संदिग्ध व्यक्तियों की [संपत्ति को बुलडोज़र का उपयोग करके ध्वस्त करने]() की प्रथा से है, जिसमें प्रायः [विधि की उचित प्रक्रिया]() का पालन नहीं किया जाता है।
  - उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र सहित विभिन्न भारतीय राज्यों में इस प्रथा की सूचना मिली है।
  - अतिक्रमण या **अनधिकृत निर्माण के लिये नगरपालिका कानूनों के तहत** प्रायः ध्वस्तीकरण को उचित ठहराया जाता है ।
- यह प्रथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों जैसे- ***[illegible]*** तथा ***[illegible]*** [उचित प्रक्रिया आवश्यकताओं]() को दरकिनार कर देती है।
  - उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस प्रथा की निंदा की है तथा इस बात पर ज़ोर दिया है कि आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना [विधि के शासन]() और [विधि की उचित प्रक्रिया]() का उल्लंघन है
- उच्चतम न्यायालय ने गैर-कानूनी ध्वस्तीकरण पर उपयुक्त अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किये हैं
- एक विश्लेषण से पता चला है कि **प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को प्रासंगिक कानून और नियमों** में शामिल किया जाना चाहिये प्रत्येक चरण पर अनेक जाँच-पड़ताल बिंदुओं के साथ चरणबद्ध तरीके से संरचित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिकूल या अपरिवर्तनीय कार्यवाही करने से पहले **सभी आवश्यक कदम** उठाए जाएँ।
  - **विध्वंस-पूर्व चरण:**
    - **सबूत का भार:** विध्वंस और विस्थापन को उचित ठहराने के लिये सबूत का भार प्राधिकारियों पर डालना, जिससे मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
    - **नोटिस और प्रचार:** भूमि अभिलेखों और पुनर्वास योजनाओं के बारे में जानकारी सहित एक तर्कपूर्ण नोटिस प्रदान करना तथा प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने के लिये पर्याप्त समय देना।
    - **स्वतंत्र समीक्षा:** सभी नियोजित ध्वस्तीकरणों, विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में, की समीक्षा न्यायिक समुदाय और नागरिक समाज के सदस्यों वाली एक निष्पक्ष समिति द्वारा की जानी चाहिये।
    - **सहभागिता और योजना:** प्रभावित पक्षों से वैकल्पिक आवास और मुआवज़े के लिये बातचीत करना तथा साथ ही कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना। नोटिस एवं विध्वंस के बीच कम-से-कम एक महीने का समय देना चाहिये।
- **विध्वंस के दौरान:**
  - **बल का न्यूनतम प्रयोग:** शारीरिक बल और बुलडोज़र जैसी भारी मशीनरी के प्रयोग से बचना।
  - **आधिकारिक उपस्थिति:** इस प्रक्रिया की निगरानी के लिये विध्वंस में शामिल न होने वाले सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
  - **निर्धारित समय:** अचानक कार्यवाही से बचने के लिये ध्वस्तीकरण का समय पहले से तय किया जाना चाहिये।
- **विध्वंस के बाद (पुनर्वास):**
  - **पुनर्वास:** यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी बेघर न रहे, पर्याप्त अस्थायी या स्थायी आवास समाधान प्रदान करना।
  - **शिकायत निवारण:** प्रभावित व्यक्तियों के लिये ध्वस्तीकरण निर्णयों को चुनौती देने हेतु त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
  - **उपाय:** मुआवज़ा, क्षतिपूर्ति तथा मूल घरों में संभावित वापसी जैसे उपाय सुनिश्चित करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bulldozer-justice